

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक : 06.03.2018


०७

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारी जो निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहे हैं, के पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-


क्र. सं.	नाम अधिकारी व पद	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1	डा. सुभाष चन्द, चिकित्सा अधिकारी	आदेशों की प्रतीक्षा में	केन्द्रीय कारागृह, सवाई माधोपुर	रिक्त पद पर
2	डा. सत्येन्द्र सिंह पोहियां, चिकित्सा अधिकारी	आदेशों की प्रतीक्षा में	जिला कारागृह बून्दी	रिक्त पद पर
3	डा. राजकुमार भाटी, चिकित्सा अधिकारी	आदेशों की प्रतीक्षा में	केन्द्रीय कारागृह, धौलपुर	रिक्त पद पर
4	डा. रामबाबू सैनी, चिकित्सा अधिकारी	आदेशों की प्रतीक्षा में	उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर	रिक्त पद पर

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय / मा. राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, कारागार, राज. जयपुर
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल / निजी / रक्षित पत्रावली
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।


(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प.02/2018/18

दिनांक : 07/03/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक/प्रभारी, जिला कारागृह/केन्द्रीय कारागृह सम्बन्धित।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन--संबन्धित।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित।
4. क्रम संख्या 01 से 04 पर अंकित चिकित्सकों को आज दिनांक 07.03.18 को मध्याह्न पश्चात कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें।
5. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट/संबन्धित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावे।
7. निजि/आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

(2)
130
7/3/18